बिहार सरकार

कृषि विभाग

पत्रांक :–NHM/BHDS/214/2024-पी०पी०एम० - 168- /पटना दिनांक- 04.10.2025

प्रेषक,

कल्पना कुमारी,
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित द्वारा : **वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)**

विषय : **नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल– ऑयल पाम (NMEO-OP)योजना का वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यान्वयन हेतु कुल 124.53750 लाख (एक करोड़ चौबीस लाख तीरेपन हजार सात सौ पचास) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : **स्वीकृत।**

नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल– ऑयल पाम (NMEO-OP) योजना का वित्तीय वर्ष 2025–26 में कार्यान्वयन हेतु कुल 124.53750 लाख (एक करोड़ चौबीस लाख तीरेपन हजार सात सौ पचास) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहित करना है। यह योजना खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सहायक होगी। योजना का कार्यान्वयन अनुसूची–01, 02 एवं 03 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025–26 में किया जायेगा।
2. इस योजना का कार्यान्वयन राज्य के पाँच जिलों यथा–पूर्वी चम्पारण, पूर्णियाँ, अररिया, खगड़िया एवं पश्चिम चम्पारण में किया जायेगा।
3. इस योजना का घटकवार विवरण निम्नवत है :–
    i. **पॉम ऑयल पौध का रोपण (Planting material (imported))** :– इस घटक के अन्तर्गत किसानों की भूमि पर ऑयल पाम पौध का रोपण किया जायेगा, जिसके लिए देय अनुदान की राशि 29000.00 रूपये प्रति हे० है। 1.0 हे० भूमि पर 150 ऑयल पाम पौध का रोपण किया जायेगा। पॉम ऑयल पौध की आपूर्ति कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा सूचीबद्ध आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा की जायेगी।
    ii. **Management and input for intercropping upto gestation period (1st Year):-**इस घटक के अन्तर्गत ऑयल पाम पौध लगाने वाले कृषकों को भूमि की जुताई एवं निकौनी, पौधा संरक्षण, उर्वरक एवं खाद, खर–पतवार नियंत्रण एवं अन्य कृषि कार्य हेतु प्रति वर्ष 5,250.00 रूपये प्रति हे० के दर से दो वर्षों के लिए 10,500.00 रूपये का अनुदान देने का प्रावधान है। इस घटक हेतु 21.00 लाख रूपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

D:\Surya 2025-26\Amit Kumar\Sanction order\Oil Palm.docx

iii. **Borewells at oil palm farm**– इस घटक के लिए कुल भौतिक लक्ष्य 50 निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 50,000.00 प्रति बोरवेल का अनुदान देने का प्रावधान है। इस घटक के लिए 25.00 लाख रूपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

iv. **Farmers training**– ऑयल पाम बिहार राज्य के लिए एक नई फसल है। अतएव कृषकों को ऑयल पाम की खेती की उत्कृष्ट तकनीकी जानकारी हेतु विशेषज्ञ वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण हेतु 25 कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 30,000.00 रूपये प्रति समूह की दर से 7.50 लाख रूपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

v. **Officers training**– ऑयल पाम बिहार राज्य के लिए एक नई फसल है। अतएव पदाधिकारियों/कर्मियों को ऑयल पाम की खेती की उत्कृष्टतम तकनीकी जानकारी हेतु विशेषज्ञ वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण हेतु 25 पदाधिकारियों/कर्मियों के समूह का भौतिक लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए 40,000.00 रूपये प्रति समूह की दर से 10.00 लाख रूपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

vi. **Project management expenses (PME)**– नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल– ऑयल पाम (NMEO-OP) योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में राज्य एवं जिला स्तर पर योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सलाहकार/तकनीकी सलाहकार/डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा ली जा सकती है, जिसके लिए मार्गदर्शिका के कंडिका 11 एवं 12 में निहित प्रावधान के अनुसार व्यय किया जायेगा।

vii. **Project management expenses (PME)** – योजना के कार्यान्वयन हेतु इस राशि का उपयोग किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक योजना (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक 03/03/2025–KY दिनांक – 17.03.2025, के आलोक में 3.04 लाख रूपये का वित्तीय लक्ष्य निर्धारित है, जिसे लक्षित जिलों एवं मुख्यालय में आवंटित किया गया है (अनुसूची – 02)।

13. योजना का लाभ DBT Portal पर पंजीकृत इच्छुक किसानों को ऑनलाईन आवेदन के माध्यम से **'पहले आओ पहले पाओ'** के आधार पर दिया जायेगा।

14. योजना संबंधित सुसंगत विषय शीर्ष में कोटिवार बजट उपबंध केन्द्रांश तथा राज्यांश मद में 83.903 : 15.00 : 1.097 के अनुपात में कोटिवार राशि प्रस्तावित किया गया है। उक्त अनुपात के अनुसार कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा योजना कार्यान्वित किया जायेगा। साथ ही सभी श्रेणी के लाभुकों में 30 (तीस) प्रतिशत महिला कृषकों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

15. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक उद्यान होंगे। कृषि विभाग द्वारा आवंटित केन्द्रांश की राशि, समानुपातिक राज्यांश की राशि मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसाईटी के SNA SPARSH में संधारित की जायेगी। मिशन निदेशक द्वारा केन्द्रांश, समानुपातिक राज्यांश की राशि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप SNA SPARSH के माध्यम से जिलावार अनुसूची–03 के अनुरूप आवंटित किया जायेगा। योजना कार्यान्वयन के क्रम में स्वीकृत राशि के अधीन यथावश्यक संशोधन/अन्तर परिवर्त्तन प्रशासी विभाग द्वारा किया जा सकेगा।

16. स्वीकृत्यादेश निर्गत की तिथि के 18 माह के अन्दर उपयोगिता प्रमाण–पत्र कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा विभाग एवं महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। महालेखाकार, बिहार, पटना को अंकेक्षण का अधिकार होगा।

17. वित्त विभाग के पत्रांक–2561 दिनांक 17.04.1998 तथा पत्रांक–410, दिनांक–12.06.2025 का अनुपालन संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

18. योजना के कार्यान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो क्रियान्वित करने वाले पदाधिकारी की पूर्ण जिम्मेवारी होगी।

19. योजना के क्रियान्वयन हेतु कार्यान्वयन अनुदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

20. योजना का कार्यान्वयन संबंधित जिला के जिला उद्यान पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा। जिला उद्यान पदाधिकारी इस पूरे कार्यक्रम से संबंधित सभी रिकॉर्ड यथा फोटोग्राफी, विडियोग्राफी, उत्पादन एवं उत्पादकता के आँकड़े आदि संधारित करेंगे।

21. योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक उद्यान, बिहार होंगे।

22. योजना के लिए वितीय वर्ष 2025–26 में बजट उपबंध से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रू० में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि
केन्द्रांश		
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 108– वाणिज्यिक फसलें, माँग संख्या 01, उपशीर्ष 0220– राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मियान (खाद्य तेल–तेलहन)(कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड संख्या – 01–2401 001080220 विशेष शीर्ष – 0220.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	2514.1100	104.49070
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, माँग संख्या – 01, उप शीर्ष –0234 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मियान (खाद्य तेल–तेलहन) (कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड संख्या – 01–2401 007890234 विशेष शीर्ष – 0234.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	551.7700	18.68063
मुख्य शीर्ष "2401–फसल कृषि– कर्म, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष 796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, माँग संख्या – 01, उप शीर्ष –0256 राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मियान (खाद्य तेल–तेलहन)(कृषोन्नति योजना), विपत्र कोड संख्या – 01–2401 007960256 विशेष शीर्ष – 0256.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन।	40.3600	1.36617
कुल योग	**3106.2400**	**124.53750**

16. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–12888 दिनांक–03.12.2024 तथा पत्रांक–201 दिनांक–13.03.2025 में निहित प्रावधान के आलोक में दिनांक–26.09.2025 को प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति की बैठक में अनुशंसा प्राप्त है। योजना के कार्यान्वयन एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या–NHM/BHDS/214/2024 के पृ० सं०–21/टि० पर दिनांक–03.10.2025 को प्राप्त है।

D:\Surya 2025-26\Amit Kumar\Sanction order\Oil Palm.docx

17. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या–7355 वि० (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

18. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–NHM/BHDS/214/2024 के पृष्ठ संख्या–21/टि० पर दिनांक–03.10.2025 को प्राप्त है, जिसका डायरी संख्या–784 दिनांक–03.10.2025 है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कल्पना कुमारी)
अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :–NHM/BHDS/214/2024 - पी०पी०एम० - 168 - /पटना दिनांक - 04.10.2025

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :–NHM/BHDS/214/2024 - पी०पी०एम० - 168 - /पटना दिनांक - 04.10.2025

प्रतिलिपि : सचिवालय कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :–NHM/BHDS/214/2024 पी०पी०एम०- 168-/पटना दिनांक - 04.10.2025

प्रतिलिपि : माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/निदेशक उद्यान, बिहार, पटना/मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बिहार, पटना/निदेशक, पी०पी०एम०, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक उद्यान/संबंधित उप निदेशक उद्यान/ संबंधित, जिला उद्यान पदाधिकारी/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

पत्रांक :–NHM/BHDS/214/2024 – पी०पी०एम० - 168- /पटना दिनांक - 04.10.2025

प्रतिलिपि : उप निदेशक (शष्य), सूचना, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारियों एवं कोषागार पदाधिकारी को ई–मेल से भेजने हेतु प्रेषित।

अपर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

अनुसूची–01

Name of the Component : Annual Action Plan of NMEO-OP for the year 2025-26

SI. No.	Intervention	Pattern of Assistance (in Rs.)	Unit	Target			
				Physical (in ha. /no.)	Financial (Rs.)		
					GOI Share	State Share	Total
1	Planting material (Imported)	29000/Ha	Ha.	200	3480000	2320000	5800000
2	Management and input for intercropping upto gestation period (1Year)	Rs. 10500/ha	Ha.	200	1260000	840000	2100000
3	Borewells at oil palm farm	50000/unit	No.	50	1500000	1000000	2500000
4	Farmers training	30000/Batch	No.	25	450000	300000	750000
5	Officers training	40000/Batch	No.	25	600000	400000	1000000
A	**Sub Total**			**500**	**7290000**	**4860000**	12150000
B	Project Management Expenses (PME)	2.5%	Rs.	0	**182250,00**	**121500.00**	303750.00
	Grand Total			**500**	**7472250.00**	**4981500.00**	**12453750.00**

संजय कुमार सिन्हा

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–02

Sl. No.	Intervention	Pattern of Assistance (in Rs.)	Unit	Araria				East Champaran				Khagaria				Purnea			
				Physical (in ha. /no.)	Financial (in Lakh Rs.)			Physical (in ha. /no.)	Financial (in Lakh Rs.)			Physical (in ha. /no.)	Financial (in Lakh Rs.)			Physical (in ha. /no.)	Financial (in Lakh Rs.)		
					GOI Share	State Share	Total		GOI Share	State Share	Total		GOI Share	State Share	Total		GOI Share	State Share	Total
1	Planting material (Imported)	29000/Ha	Ha.	25	4.35000	2.90000	7.25000	55	9.57000	6.38000	15.95000	20	3.48000	2.32000	5.80000	30	5.22000	3.48000	8.70000
2	Management and input for intercropping upto gestation period (1Year)	Rs. 10500/ha	Ha.	25	1.57500	1.05000	2.62500	55	3.46500	2.31000	5.77500	20	1.26000	0.84000	2.10000	30	1.89000	1.26000	3.15000
3	Borewells at oil palm farm	50000/unit	No.	6	1.80000	1.20000	3.00000	14	4.20000	2.80000	7.00000	5	1.50000	1.00000	2.50000	8	2.40000	1.60000	4.00000
4	Farmers training	30000/Batch	No.	4	0.72000	0.48000	1.20000	6	1.08000	0.72000	1.80000	4	0.72000	0.48000	1.20000	4	0.72000	0.48000	1.20000
5	Officers training	40000/Batch	No.		-	-	-		-	-	-		-	-	-		-	-	-
A	**Sub Total**			**60**	**8.44500**	**5.63000**	**14.07500**	**130**	**18.31500**	**12.21000**	**30.52500**	**49**	**6.96000**	**4.64000**	**11.60000**	**72**	**10.23000**	**6.82000**	**17.05000**
B	Project Management Expenses (PME)	2.5%	Rs.		**0.21113**	**0.14075**	**0.35188**		**0.45787**	**0.30525**	**0.76312**		**0.17400**	**0.11600**	**0.29000**		**0.25575**	**0.17050**	**0.42625**
	Grand Total				**8.65613**	**5.77075**	**14.42688**		**18.77287**	**12.51525**	**31.28812**		**7.13400**	**4.75600**	**11.89000**		**10.48575**	**6.99050**	**17.47625**

Table title: **Name of the Component : Annual Action Plan of NMEO-OP for the year 2025-26**

संजय कुमार सिन्हा

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची–02

Name of the Component : Annual Action Plan of NMEO-OP for the year 2025-26

SI. No.	Intervention	Pattern of Assistance (in Rs.)	Unit	West Champaran				Head Quarter				Grand Total			
				Physical (in ha. /no.)	Financial (in Lakh Rs.)			Physical (in ha. /no.)	Financial (in Lakh Rs.)			Physical (in ha. /no.)	Financial (in Lakh Rs.)		
					GOI Share	State Share	Total		GOI Share	State Share	Total		GOI Share	State Share	Total
1	Planting material (Imported)	29000/Ha	Ha.	70	12.18000	8.12000	20.30000		-	-	-	200	34.80000	23.20000	58.00000
2	Management and input for intercropping upto gestation period (1Year)	Rs. 10500/ha	Ha.	70	4.41000	2.94000	7.35000		-	-	-	200	12.60000	8.40000	21.00000
3	Borewells at oil palm farm	50000/unit	No.	17	5.10000	3.40000	8.50000		-	-	-	50	15.00000	10.00000	25.00000
4	Farmers training	30000/Batch	No.	7	1.26000	0.84000	2.10000		-	-	-	25	4.50000	3.00000	7.50000
5	Officers training	40000/Batch	No.		-	-	-	25	6.00000	4.00000	10.00000	25	6.00000	4.00000	10.00000
A	**Sub Total**			**164**	**22.95000**	**15.30000**	**38.25000**	**25**	**6.00000**	**4.00000**	**10.00000**	**500**	**72.90000**	**48.60000**	**121.50000**
B	Project Management Expenses (PME)	2.5%	Rs.		**0.57375**	**0.38250**	**0.95625**		**0.15000**	**0.10000**	**0.25000**		1.82250	1.21500	**3.03750**
	Grand Total				**23.52375**	**15.68250**	**39.20625**		**6.15000**	**4.10000**	**10.25000**		**74.72250**	**49.81500**	**124.53750**

संजय कुमार सिन्हा

(अभिषेक कुमार)

अनुसूची –3

नेशनल मिशन ऑन एडीबल ऑयल–ऑयल पाम योजनान्तर्गत वर्ष 2025–26 में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारीवार तथा श्रेणीवार वित्तीय लक्ष्य का निर्धारण (राशि लाख रू० में)।

क्र० सं०	जिला/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का पदनाम	सामान्य जाति (@83.903)	अनुसूचित जाति (@15.00)	अनुसूचित जनजाति (@1.097)	कुल वित्तीय लक्ष्य
1	जिला उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान, अररिया	12.10459	2.16403	0.15826	14.42688
2	जिला उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान, पूर्वी चम्पारण	26.25167	4.69322	0.34323	31.28812
3	जिला उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान, खगड़िया	9.97607	1.78350	0.13043	11.89000
4	जिला उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान, पूर्णियाँ	14.66310	2.62144	0.19171	17.47625
5	जिला उद्यान पदाधिकारी/सहायक निदेशक उद्यान, पश्चिम चम्पारण	32.89522	5.88094	0.43009	39.20625
6	निदेशक उद्यान, बिहार, पटना (मुख्यालय)	8.60005	1.53750	0.11245	10.25000
कुल योग		**104.49070**	**18.68063**	**1.36617**	**124.53750**

निदेशक उद्यान, बिहार।